न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.) सिरोही (राज.)
बइजलास पीठासीन अधिकारी हरि सिंह देवल (आर.ए.एस.)

रा.प्रा.पत्र संख्या 142 / 2024
GCMS No. 2024/235

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थी**
1 श्री गुमानसिंह पुत्र श्री रणजीतसिंह देवडा आयु 72 वर्ष जाति राजपूत नि. निम्बोडा तहसील व जिला सिरोही		स्टेट जरिये तहसीलदार सिरोही

उपस्थित :–
1– प्रार्थी की ओर से वकील श्री श्रृषि माथूर।
2– अप्रार्थी स्टेट की ओर से पैरोकार सरकार (ना.तह.सिरोही)

रा.प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा 251(क) की उपधारा (1) राज.अभिधृति अधिनियम 1955 के तहत वास्ते खातेदारी कृषि भूमि मे जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता दिलाने बाबत

निर्णय दिनांक –0 –2025

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह रा.प्रा.पत्र अर्नतगत धारा 251 (क) की उपधारा (1) राज. काश्त अधिनियम 1955 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध वास्ते खातेदारी कृषि भूमि मे जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता दिलाने बाबत इस न्यायालय में दिनांक 06.12.2024 को पेश किया जिसका संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम निम्बोडा पटवार हल्का जैला भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र तंवरी तहसील व जिला सिरोही में प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त व हक अधिकार की कृषि भूमि आयी हुई है जिसके खाता संख्या 13 खसरा संख्या 292 रकबा 0.1600 हेक्टेयर, खसरा संख्या 294 रकबा 0.0600 हेक्टेयर, खसरा संख्या 295 रकबा 0.9600 हेक्टेयर, खसरा संख्या 296 रकबा 0.2400 हेक्टेयर, खसरा संख्या 394 / 293 रकबा 0.3382 हेक्टेयर है। वर्णित कृषि भूमि खसरा संख्या 292 की भूमि प्रार्थी के खातेदारी और कब्जे काश्त की कृषि भूमि है। प्रार्थी उक्त भूमि पर पिछले कई वर्षो से लगातार काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। प्रार्थी के लिए उसके खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 292 पर आने जाने हेतु राजस्व रेकर्ड में कोई रास्ता अंकित नही है जिससे प्रार्थी उसके खातेदारी की कृषि भूमि में आवागमन ग्राम निम्बोडा मे स्थित राजकीय बिलानामा पडत भूमि खसरा नम्बर 289 और ग्राम नून में स्थित राजकीय बिलानामा भूमि खसरा नम्बर 1260 की भूमि में से (संलग्न नक्शे में वर्णित A to B) रास्ते से पिछले कई वर्षो से आता जाता रहा है जो आगे गैर मूमकीन सडक खसरा संख्या 1259 से जुडती है। प्रार्थी उक्त A to B रास्ते का उपभोग भी पिछले कई वर्षो से करता आ रहा है लेकिन राजस्व रेकर्ड में उक्त भाग रास्ते के रूप में अंकित नहीं होने से प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि पर आने जाने मवेशी, ट्रेक्टर, बैलगाड़ी लाने ले जाने हेतु कई बार समस्याओ का सामना करना पडता है, प्रार्थी एक गरीब काश्तकार व्यक्ति है जिसके पुरे परिवार का भरण पोषण उक्त कृषि भूमि

की आय से होता है ऐसी स्थिति में प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि पर आवागमन हेतु रास्ते की सख्त आवश्यकता है । प्रार्थी को ग्राम निम्बोडा मे स्थित राजकीय बिलानामा पडत भूमि खसरा नम्बर 289 और ग्राम नून मे स्थित राजकीय बिलानामा भूमि खसरा नम्बर 1260 की भूमि में आसानी से रास्ता उपलब्ध कराया जा सकता हैं जिसे संलग्न राजस्व नक्शा ट्रेस में मार्क A to B से दर्शाया गया है। संलग्न नक्शा ट्रेस में दर्शाये मार्क A to B वाले हिस्से को प्रार्थी के लिए रास्ते हेतु उपलब्ध कराया जाता हैं तो प्रार्थी को अपनी आराजी पर आने जाने हेतु और काश्त करने जाने हेतु आसानी से रास्ता मिल जायेगा, उक्त रास्ते के जरिये प्रार्थी अपनी आराजी पर ट्रेक्टर, बैलगाड़ी, पशुओं को भी आसानी से ला ले जा सकेगा। उक्त रास्ता कायम किये जाने से अप्रार्थी की कृषि भूमि को भी कोई नुकसान नहीं होगा, अप्रार्थी की आराजी यथावत रूप में रहेगी । प्रार्थी को उसकी आराजी खसरा संख्या 292 में आने जाने में कई बार रूकावटे आती है। आवागमन हेतु राजस्व नक्शा ट्रेस में रास्ता अंकित नहीं होने से प्रार्थी को अपनी आराजी पर आने जाने और काश्त में भारी कठिनाईयों का सामना करना पड रहा हैं। रास्ते के अभाव में प्रार्थी कई बार अपनी आराजी पर नहीं पहुँच पाता हैं जिससे उसकी फसले जल जाती हैं और पशुओं को भी कई बार पानी चारे के अभाव में राते गुजारनी पडती हैं इसी कारण प्रार्थी को उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण पैदा हुआ है। प्रार्थी को अपनी आराजी पर आने जाने, ट्रेक्टर, बैलगाडी लाने ले जाने हेतु रास्ता चाहिए। उक्त रास्ता ग्राम निम्बोडा में स्थित राजकीय बिलानामा पडत भूमि खसरा नम्बर 289 और ग्राम नून में स्थित राजकीय बिलानामा भूमि खसरा नम्बर 1260 की भूमि नक्शे में वर्णित A to B वाले हिस्से पर 30 फिट चौडा कायम किया जा सकता है। खसरा संख्या 289 और 1260 की भूमि में से गुजरने वाला उक्त A to B रास्ता जितनी भी लम्बाई का होता है उसे राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी खसरा संख्या 289 (निम्बोडा) और 1260 (नून) मे गैर मुमकीन रास्ता दर्ज करवाना चाहता हैं इसके लिए प्रार्थी राज्य सरकार के आदेशानुसार शुल्क अदा करने हेतु तैयार है। इस कारण प्रार्थी को मजबूरन यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण पैदा हुआ है।

अतः प्रार्थी का उपरोक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम निम्बोडा पटवार हल्का जैला, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र तवरी तहसील सिरोही जिला सिरोही (राज.) में स्थित प्रार्थी के खातेदारी और कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 292 पर आने जाने हेतु ग्राम निम्बोडा में स्थित राजकीय बिलानाम पडत भूमि खसरा नम्बर 289 और ग्राम नून में स्थित राजकीय बिलानाम भूमि खसरा नम्बर 1260 की कृषि भूमि में दर्शाए संलग्न राजस्व नक्शा ट्रेस अनुसार मार्क A to B हिस्से में 30 फिट चौडा और मौके अनुसार लम्बे रास्ते को नियमानुसार राजस्व रेकर्ड में रास्ता अंकित किए जाने के आदेश पारित करना फरमावें,

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र व फार्म नंबर 3 में संलग्न जमाबंदी प्रतियां, नक्शा प्रतियों का गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया तो उक्त प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों से न्यायालय प्रथम दृष्टयां आश्वस्त होने से उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 06.12.2024 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही को जवाब पेश करने हेतु नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी को जारी नोटिस तामिल होकर इस न्यायालय में प्राप्त होने से शा.मि. किये गये। अप्रार्थी पैरोकार सरकार ने तहसीलदार सिरोही की ओर से जवाब पेश करने हेतु समय चाहने से न्यायहित मे समय दिया गया।

उक्त प्रकरण में इस न्यायालय में सुनवाई पेशी दिनाक 23–06–2025 को अप्रार्थी ओर से जवाब पेश किया जिसे शा.मि. किया गया तथा जवाब की प्रति वकील प्रार्थी को उपलब्ध करवाई गई ।

अप्रार्थी तहसीलदार सिरोही ने अपने जवाब में कथन किया कि ग्राम निम्बोडा के खसरा नम्बर 292, 294, 295, 296 व 394/293 प्रार्थी गुमानसिंह की खातेदारी भूमि है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 292 के अलावा खसरा नम्बर 394/292 भी है। जिसमें आवागमन हेतु मुख्य सडक खसरा नम्बर 269 से स्वयं की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 394/292 के बीच खसरा नम्बर 289 व 290 में से रास्ता प्रस्तावित किया गया है, जो नक्शा ट्रेस में लाल स्याही दर्शाया गया है। प्रार्थी के भूमि में आवगमन हेतु स्वयं के खसरा नम्बर 394/292 में रास्ता प्रस्तावित किया गया है एवं अन्य खसरा नम्बर 294, 295 व 296 प्रस्तावित रास्ता से एक दुसरे से जुडे हुए है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के संबंध में मौके एवं रेकर्ड से जांच की गई एवं निरीक्षण उपरान्त खसरा नम्बर 289 व 290 में से रास्ता प्रस्तावित किया गया है जो प्रार्थी के खसरा नम्बर 394/292 में पहुँचता है व इसके बाद अन्य खसरा नम्बर 294, 295 व 296 जो खसरा नम्बर 394/292 से आपस में जुडते हुए है। प्रस्तावित रास्ता आवागमन हेतु निकटतम रास्ता है जो खसरा नम्बर 289 में से लम्बाई 20 मीटर × चौडाई 9.14 मीटर = 0.01828 हेक्टेयर व खसरा नम्बर 290 में से लम्बाई 16 मीटर × चौडाई 9.14 मीटर = 0.014624 हेक्टेयर प्रस्तावित है।

विचाराधीन प्रकरण की पत्रावली वास्ते वकील प्रार्थी और पैरोकार सरकार की उक्त प्रार्थना पत्र अन्तगर्त धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर बहस दिनाक 23–06–2025 को रखी गई। जिस पर वकील प्रार्थी व अप्रार्थी स्टेट की ओर से पैरोकार सरकार ने न्यायालय में हाजिर होकर उक्त प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251–ए आर.टी एक्ट पर अंतिम बहस करने से बहस सुनी गई। दौराने बहस उभयपक्ष ने अपने प्रार्थना पत्र व जवाब के तथ्यों को दोहराया।

हमने विचारण प्रकरण प्रार्थना पत्र अन्तगर्त धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही की अंतिम बहस पर गंम्भीरता से मनन किया। विचारण प्रकरण की मुल पत्रावली मय प्रार्थना पत्र व जवाब स्टेट तहसीलदार सिरोही व संलग्न राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी व संलग्न नक्शा ट्रेस का गहनतापूर्वक अध्ययन कर उस पर मनन किया। संपूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त यह पाया गया कि अप्रार्थी स्टेट की ओर से प्राप्त जवाब अनुसार तहसीलदार सिरोही ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को सही होना स्वीकार किया है तथा पैरोकार सरकार ने भी अपनी बहस में तहसीलदार सिरोही के जवाब अनुसार प्रार्थी को उसकी खातेदारी कृषि भूमि में से होकर विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में खातेदारी भूमि में पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है। अतः प्रार्थी को उसके खातेदारी आराजी में से होकर आने जाने के लिए मवेशी टेक्ट्रर बैलगाडी आदि के लिये रास्ते की सुविधाजनक उपयोग के लिए आत्यातिक आवश्यकता होने से एव वैकल्पिक मार्ग की उपलब्धता सिद्ध नहीं होने से तथा तहसीलदार सिरोही ने अपने जवाब में भी रास्ता मौके

एव रेकर्ड मे नही होना बताया है इस कारण तहसीलदार सिरोही द्वारा प्रस्तावानुसार जगह से रास्ता दिया जाना उचित समझते है।

उपरोक्त सभी के आधार पर प्रार्थी का यह राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का विरूद्व अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है एव तहसीलदार सिरोही के प्रस्ताव अनुसार प्रार्थी को उनकी खातेदारी कृषि भूमि मौजा निम्बोडा के खसरा नम्बर 292 में आने–जाने हेतु मौजा निम्बोडा के खसरा नम्बर 289 में से लम्बाई 20 मीटर × चौडाई 9.14 मीटर = 0.01828 हेक्टेयर व खसरा नम्बर 290 में से लम्बाई 16 मीटर × चौडाई 9.14 मीटर = 0.014624 हेक्टेयर का मार्ग दिया जाना उचित होने से नियमानुसार रास्ता के लिये स्वीकृत की जाती है। इस सम्बन्ध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के तहत राजस्थान सरकार के श्रीमान संयुक्त शासन सचिव राजस्व (ग्रुप 6) विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा जारी परिपत्र कमाक प. (52) राज–6/4 दिनांक 14.06.2013 बाबत राजकीय भूमि पर सार्वजनिक रास्ता निकालने के सम्बन्ध मे दिये गये प्रावधानो अनुसार उक्त रास्ते की भूमि स्वीकृत की गई भूमि के प्रतिकर की रकम निम्नलिखित रीति से अवधारित करने हेतु तहसीलदार सिरोही को आदेश दिये जाते है (क) राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 2 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई दरो या किसी नये मार्ग के खोलने या विधमान मार्ग के विस्तार या चौडा करने के मामले में राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 58 के उपनियम (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अवधारित दरों का दुगुना और (ख) उपनियम (1) के खण्ड (क) के अधीन अवधारित भूमि के तुल्य के अतिरिक्त यदि खडे वृक्ष या संरचना को हटाने के कारण कोई हानि या नुकसान होता है तो वास्तविक हानि या नुकसान की रकम अवधारित की जायेगी

तहसीलदार सिरोही द्वारा उक्त रास्ता की भूमि की नियमानुसार कीमत अवधारित कर कीमत की राशि प्रार्थी द्वारा तहसील कार्यालय सिरोही मे जमा करवाने पर अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही को उपरोक्तानुसार राजकीय बिलानाम भूमि मौजा निम्बोडा तहसील व जिला सिरोही के खसरा नम्बर खसरा नम्बर 289 में से लम्बाई 20 मीटर × चौडाई 9.14 मीटर = 0.01828 हेक्टेयर व खसरा नम्बर 290 में से लम्बाई 16 मीटर × चौडाई 9.14 मीटर = 0.014624 का मार्ग दिया जाना उचित है। प्रार्थी उक्त रास्ते की भूमि की कीमत राशि अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही को उपरोक्तानुसार भूगतान करने पर भूमिधारी तहसीलदार सिरोही को आदेश दिया जाता है कि प्रस्ताव अनुसार रास्ते की भूमि कम कर राजस्व रेकर्ड में किस्म गैर मूमकीन सार्वजनिक रास्ता श्री सरकार बिलानाम खाते में दर्ज करने की कार्यवाही कर पालना सुनिश्चित करे। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(हरि सिंह देवल)
सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
सिरोही

सहायक कलेक्टर सिरोही (राज.)

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 30–06–2025 को मेरे हस्ताक्षर पदनाम व न्यायालय की गोल मुहर से जारी किया गया

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
सिरोही

सहायक कलेक्टर सिरोही (राज.)